2011-12

विकेंद्रीकृत जिला नियोजन
तकनीकी सहायता दल के लिये मार्गदर्शिका

जिला प्रशासन
(कार्यालय जिला योजना एवं
सांख्यिकी),
राजगढ़ म.प्र.

संदेश

विदित है कि जिला योजना निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जिले को विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए बजट आवंटन किया जाता है।

जिले में वर्ष 2011–12 की जिला योजना बनाने का महत्वपुर्ण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष से राज्य शासन द्वारा जिला योजना का निर्माण, विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के माध्यम से तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तरों पर नियोजन किया जावेगा, वही शहरी क्षेत्र की नियोजन इकाई वार्ड, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर जिला शहरी विकास अभिकरण होगे। इस प्रक्रिया में नागरिको द्वारा जिले के *विजन (दृष्टिकोण/दर्शन)* के अनुरूप प्रस्तावित गतिविधियों का विश्लेषण कर उभर कर आई प्राथमिकताओं/आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीतिगत और अन्य कार्यवाही की जावेगी। जिला योजना समिति ग्रामीण एंव नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनओं समेवित कर जिला योजना को अंतिम रूप देगी।

जिले का विजन 2016

जिले की भूमि, जल, जंगल और जिले के नागरिकों के कौशल और विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के अतंर्गत उपलब्ध वित्तीय एवं तकनीकी संसाधनो का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए वर्ष 2016 तक जिले के नागरिकों के लिये स्थायी आजीविका के साधन विकसित करते हुऐ एक समृद्ध, शिक्षित, स्वस्थ, स्वच्छ, हराभरा और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त आदर्श जिला राजगढ़ के रूप में स्थापित करना।

इस पत्र के माध्यम से जिले के समस्त जनप्रतिनिधीगण, नागरिकों और विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारीयों से अपील है कि इस प्रक्रिया में गंभीरता पूर्वक भाग लेते हुए जिले के विजन 2016 को प्राप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें।

लोकेश कुमार जाटव
कलेक्टर राजगढ़

विकेन्द्रिकृत नियोजन–पृष्ठभूमि

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने स्थानीय स्व–शासन की इकाईयों को संवैधानिक मान्यता देते हुए विकेन्द्रीकृत नियोजन की जिम्मेदारी सौपी है। मध्य प्रदेश ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए, 19 मई 1995 को जिला योजना समिति अधिनियम 1995 लागू किया। वर्ष 2001–02 में राज्य बजट को जिला बजट में विभाजित किया ताकि जिला स्तर पर विभागों को संसाधन उपलब्ध हो सके।

अभी तक वार्षिक जिला योजनाए जिला स्तर पर जिला योजना समितियों द्वारा तैयार की जा रही है। योजना आयोग, भारत सरकार वतर्मान वर्ष तथा इसके बाद के वर्षों के लिए पचंवर्षीय योजनाएं तथा वार्षिक योजनाएं पचांयत राज सस्थाओं तथा नगरीय निकायों की सक्रिय भागीदारी से बनाने का लक्ष्य रखता है। जिसका उद्देश्य स्थानीय निकायों और जिला योजना समिति के माध्यम से एक ऐसी योजना का निर्माण करना है जिसमें समाज के सभी वर्गों, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांग और बेसहारा लोगों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाय और जिसका स्वरूप समग्र व समन्वित विकास को सुनिश्चित करना हो।

योजना आयोग ने अपनी विकेन्द्रीकृत नियोजन की मंशा के अनुरूप वर्ष 2010–11 के लिये भारत सरकार –संयुक्त राष्ट्र संस्थाऐं साझा कनवर्जेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 जिलो जिनमे राजगढ़ जिलो एक है, में विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से जिला योजना का निर्माण किया गया। गत वर्ष के नियोजन के अनुभवो के आधार पर वर्ष 2011–12 से म.प्र. के सभी 50 जिलो में विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से जिला योजना निर्माण का निर्णय लिया गया हैं।

एकीकृत जिला नियोजन क्या है ?

सम्पूर्ण जिले में स्थानीय स्वशासन के ग्रामीण एवं नगरीय संस्थाओं से निकली हुई योजनाओं को समेकित कर ऐसी समेकित योजना का निर्माण करना जिसमें समाज के सभी वर्गो, विशेषतः समाज की मुख्य धारा से पृथक अ0जा0/अ0ज0जा/ महिलाएं/बच्चों/ विकलांगों/बेसहारा लोगों के हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाये तथा जिसका स्वरूप समग्र व समन्वित विकास को सुनिश्चित करना हो ।

नियोजन का अर्थ है–

- प्रासंगिक तथ्य और आंकड़े एकत्रित करना।
- प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए उनका विश्लेषण करना।
- निर्धारित प्राथमिकताओं का उपलब्ध बजट के साथ मिलान करना।
- कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं को परिभाषित करना और
- लक्ष्य निर्धारित कर उनका अनुश्रवण करना।

विकेंद्रीकृत जिला योजना क्या है ?

विकेंद्रीकृत जिला योजना में वह सब शामिल होता है जिसे जिले की विभिन्न नियोजन ईकाइयां सामूहिक रूप से परिकल्पना करके, अपने–अपने बजटों और कौशलों का उपयोग करके और अपनी पहलकदमियों को आगे बढ़ा कर मिलजुल कर हासिल कर सकती हैं। एक अच्छी विकेंद्रीकृत जिला योजना के अंतर्गत–

- हर योजना इकाई (जैसे जिला, जनपद मध्यवर्ती और ग्राम व पंचायतें, नगर पालिकाएं और लाइन विभाग) लोगों के साथ परामर्श करके अपने कार्य और उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए एक योजना बनाती है।
- एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय करते हुए वे सामान्यतः एक दूसरे की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में तब तक दखल नहीं देंगी जब तक कि इससे निश्चित रूप से कोई लाभ प्राप्त न हो और इसे लेकर आपसी सहमति न हो।

विकेन्द्रीकृत नियोजन के लाभः

- स्थानीय अवष्यकताओं के आधार पर गतिविधि चयन।
- समुदाय में स्वामित्व की भावना।
- नियोजन, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में स्थानीय जन प्रतिनिधियों की भागीदारी।
- संसाधनो का प्रभावी उपयोग।
- विभागीय लक्ष्यो की प्राप्ति।
- कनवर्जेसं की सुनिष्चिता।

- अंतिम योजना एकीकरण की एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से इन इकाइयों की योजनाओं को एक साथ मिलाने का परिणाम होगा।

संस्थागत व्यवस्थाः

<u>राज्य स्तर (राज्य योजना आयोग):</u> राज्य योजना आयोग प्रदेश में योजना निर्माण के लिए शीर्ष संस्था है। विकेन्द्रीकृत जिला योजनाओं को तैयार करने एवं अंतरविभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई हैं और कार्य संचालन के लिये प्रमुख सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी की अध्यक्षता में कार्यकारी दल का गठन किया गया हैं।

<u>जिला स्तरः</u> जिला योजना निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं में नेतृत्व की भूमिका अदा कर जिला योजना तैयार करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला योजना समिति की होगी। जिला स्तर पर ब्म् *जिला पंचायत के नेतृत्व में जिला स्तरीय नियोजन दल* का गठन किया गया है, जो जिले के ग्रामीण क्षेत्र की योजना निर्माण के साथ–साथ जनपद स्तरीय दलों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन देंगें और प्रक्रिया की मॉनीटरिगं करेगें।

संस्थागत व्यवस्थाः जिला स्तर

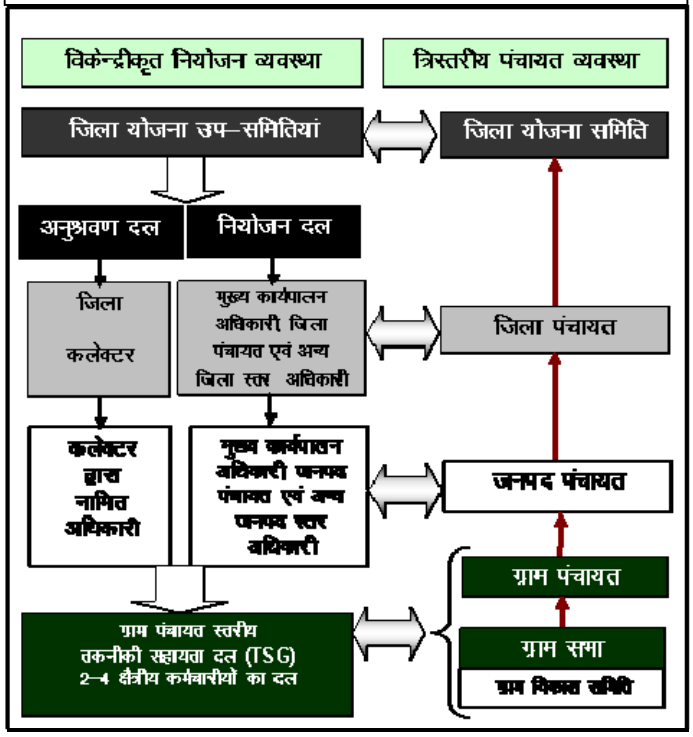

<u>जनपद स्तरः</u> ब्म् जनपद पंचायत के नेतृत्व में जनपद स्तरीय नियोजन दल का गठन किया गया है, जिनका कार्य ज्ैळ के प्रशिक्षण, नियोजन प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षण, पंचायतों प्राप्त योजनाओं की डाटा एन्ट्री, जनपद स्तरीय नियोजन करना हैं।

तकनीकी सहायता दल (ज्ैळ)– विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया की व्यवस्था में तकनीकी सहायता दल नियोजन की अन्तिम ईकाइ है जो ग्राम/पंचायत/वार्ड स्तरीय नियोजन के लिये जिम्मेवार हैं। तकनीकी सहायता दल 2–3 ग्राम पंचायतों/वार्ड पर 2 विभागीय अधिकारी जिनमें जनशिक्षक, ए.एन.एम./ एम.पी.डब्लू. कृषि विकास विस्तार अधिकारी, अतिरिक्त विकास विस्तार अधिकारी, उपवन क्षेत्रपाल, उपयंत्री, स्वयं सेवी संस्था डी.पी.आई.पी.,एम.पी.आर.एल.पी इत्यादि।

शहरी क्षेत्र में नियोजन प्रक्रिया में वार्ड के बाद शहरी निकाय और जिला स्तर पर शहरी विकास अभिकरण नियोजन की इकाई होगी। राजगढ़ के परिपेक्ष्य मे शहरी क्षेत्र में जिला व निकाय स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया को सहयोग करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र के लिये बनाई गई व्यवस्था को उपयोग में लाया जावेगा।

तकनीकी सहयोग दल के कार्य –

- प्रत्येक तकनीकी सहायता दल 2 से 3 पंचायतों (10 से 15 ग्रामों) में येाजना निर्माण की प्रक्रियाओं का संचालन कर योजना निर्माण करवाना।
- ग्राम विकास समिति/ग्राम नियोजन समिति का गठन एवं योजना निर्माण पर उन्मुखीकरण तथा प्रक्रियाओं के संचालन में सहयोग देना।
- ग्राम विकास समिति के साथ मिलकर ग्राम के उपेक्षित वर्गों की पहचान करना एवं उपेक्षित वर्गों के साथ बैठकर अलग–अलग क्षेत्रकों से जुड़ी समस्याओं को चिन्हित करने में ग्राम विकास समिति का सहयोग करना।

- समस्याओं के प्राथमिकीकरण एवं विश्लेषण के आधार पर आवश्यकता विकल्पों की पहचान करने में ग्राम विकास समिति के लोगों की सहायता करना एवं कार्यों को उपयुक्त योजनाओं के साथ जोड़ना।
- योजना निर्माण में अधोसंरचना, तकनीकी एवं बजट आदि मुददों पर तकनीकी सहयोग के लिए जनपद एवं जिले से मद्द लेना।
- पंचायत स्तर पर ग्राम योजनाओं का समेकन।
- ग्रामसभा/पंचायत स्तर पर योजनाओं का प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन।

तकनीकी सहयोग दल को विभिन्न स्तरों मिलने वाला सहयोग

- ग्राम स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया संचालित करने के लिये वित्तिय प्रवधान।
- तकनीकी सहयोग दल के लिये विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया में प्रशिक्षण।
- जनपद स्तरों पर गठित नियोजन/तकनीकी सहयोग दलों द्वारा सहयोग।
- जिला स्तर पर गठित जिला नियोजन दल द्वारा सहयोग।
- पंचायत राज संस्थाओ के प्रतिनिधियों के द्वारा मार्गदर्शन और द्वारा सहयोग।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र भ्रमण।

ग्राम स्तरीय नियोजन प्रक्रिया के मुख्य चरण

वातावरण निर्माण

- जरूरत हो तो ग्राम नियोजन समिति का गठन
- ग्रामीणो को ग्राम के दृष्टिकोण (विजन) पर जानकारी देना।
- चिन्हित समूहों की पहचान।
- ग्राम नियोजन प्रक्रिया का ग्राम व पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार।

⇩

जानकारी एकत्र करना

- पृथक–पृथक समूहों में ग्राम के दृष्टिकोण (विजन) के आधार पर ग्राम की समस्याओं/ मुददों की पहचान करना।
- समस्याओं/ मुददों का प्राथमिकीकरण करना।
- संभावित समाधानों की पहचान करना।
- समूहों से निकली प्राथमिकता के आधार पर गतिविधियों को जोड़कर ग्राम की योजना का निर्माण करना।

⇩

ग्रामसभा में चर्चा और अनुमोदन

- ग्राम की योजना मे ग्रामसभा के सुझावों का समावेश करना।
- गतिविधियों का प्राथमिकीकरण करना।
- ग्रामसभा का अनुमोदन प्राप्त करना।

चरण–1: ग्राम नियोजन समिति का गठन :

- यदि आवश्यकता हो तो ही ग्राम विकास समिति का विस्तार कर, सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम नियोजन समिति का गठन किया जाये।
- ग्राम विकास समिति का विस्तार नियोजन प्रक्रिया में ग्रामीणों की अधिक सहभागिता को सुनिश्चित करना है।

- ग्राम नियोजन समिति के गठन के समय विशेष तौर पर ध्यान रखा जाये कि ग्राम के प्रत्येक वार्ड से महिला एवं पुरूष की भागीदारी रहे।
- ग्राम नियोजन समिति के सदस्य ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल की मद्द से ग्राम के लोगो के साथ मिलकर योजना निर्माण की पूरी प्रक्रियाओं का संचालन करेंगे तथा ग्राम के विकास के लिए कार्ययोजना का निर्माण भी करेंगे।

चरण–2: ग्रामसभा में सहभागी (Shared Vision) दृष्टिकोण एवं मुददों की पहचान :

- ग्राम में नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व, सरपंच, सचिव, सहित सभी जनप्रतिनिधियों को जिले के दृष्टिकोण पर आधारित ग्राम के दृष्टिकोण (विजन) पर समझ होना आवश्यक है।
- ग्रामीणों के मध्य विजन पर स्पष्टता लाने की जवाबदेही तकनीकी सहायता दल की होगी।
- विजन में एकरूपता के अभाव में नियोजन प्रक्रिया में भटकाव की संभावना बढ जाती है, अतः

ग्रामसभा बैठकों में बेहतर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उपाय
- समय रहते बैठक की तारीखें निर्धारित करना।
- सूचनाओं का मुद्रण और व्यापक प्रसार व वितरण
- बेहतर उपस्थिति को सुनिष्चित करने के लिए, पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करना।
- विशेष हितधारक समूहों (जैसे स्वयं सहायता समूह पालक शिक्षक संघ आदि) को शामिल करना।
- जन अभियान परिषद, अभियान (राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) नेहरू युवक केन्द्र, आओ बनाएँ म.प्र. के अन्तर्गत बनाई गई समितियां आदि को शामिल करना।
- स्वयंसेवकों द्वारा घरों के दौरे।
- विचार–विमर्श इत्यादि के लिए ग्रामसभा को छोटे समूहों में (वार्ड सभा) विभक्त करना।

तकनीकी सहायता दल यह सुनिश्चि करेंगे कि ग्राम में मुददों की पहचान का कार्य विजन की जानकारी होने के पश्चात ही हो।

- ग्राम के दृष्टिकोण (विजन) के आधार पर तकनीकी सहायता दल, ग्राम विकास समिति की सहायता से ग्राम में नियोजन प्रकिया प्रारंभ करेंगे।

(नोटः–गांव का विजन पत्र ग्राम नियोजन पुस्तिका में संलग्न किया गया है।)

चरण–3: चिन्हित समूहों की पहचानः

अब तकनीकी सहायता दल, ग्राम विकास समिति की सहायता से ग्राम में दो से चार अलग–अलग समूह तैयार करेंगे। जो कि क्रमशः –

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति,
2. महिलायें एवं बच्चे,
3. विकलांग एवं निराश्रित,
4. सामान्य

यदि किसी ग्राम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोग निवास निवास नहीं करतें है, तो वहां इन वर्गों के समूह का गठन नहीं किया जायेगा, लेकिन यदि ग्राम में एक–दो व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति में आते है, तो उन्हे विकलांग एवं निराश्रित वर्गो के समूह में शामिल कर लिया जायेगा।

चरण–4: पृथक–पृथक समूहों के साथ समस्याओं का प्राथमिकीकरण एवं उनके संभावित समाधानों की पहचान

- तकनीकी सहायता दल ग्राम स्तर पर समाज के उपरोक्त वर्णित चारों समूहों के साथ पृथक–पृथक चर्चा करेगें।
- इस चर्चा को संचालित करने हेतु प्रप़त्र 2 समस्या और सेवा का स्तर का उपयोग किया जायेगा।

- तकनीकी सहायता दल इस प्रक्रिया को ग्राम विकास समिति की के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगें।
- इससे गामीणों को समस्याओं को पहचाने एवं उनके समाधानों का विश्लेष्ण करने में मदद मिलेगी।
- समाधानो के आधार पर गतिविधियों का उपलब्ध संसाधनो और निर्धारित समय के आधार पर किया जावे।

नोट– गत वर्ष के अनुभवो के आधार पर राजगढ़ के परिपेक्ष्य में कृषि व संबद्ध क्षेत्र की जानकारीयों को एकत्र कर ग्राम की कार्ययोजना का निर्माण विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के तहत कृषि विभाग के क्षैत्रीय अमले द्वारा किया गया है। उक्त कार्ययोजना ग्राम/ग्रामसभा स्तर पर चर्चा और अनुमोदन के लिये ग्राम नियोजन पुस्तिका में उपलब्ध कराई गई हैं।

कार्य योजना निर्माण के समय ध्यान रखें कि–

- विभिन्न समूहों ने किसी गतिविधि से संबंधित समस्या को कितना गंभीर बताया है।
- समस्या की गंभीरता आधार पर गतिविधि की प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी।
- तकनीकी सहायता दल गांव वालों को अपनी क्षमतायें, उपलब्ध संसाधन, सुविधाओं का आंकलन करने में की मद्द करनी होगी तथा इसके अनुरूप प्राथमिकता तय करने की प्रक्रिया का संचालन करना होगा।

चरण–5: समूहों से निकली प्राथमिकता के आधार पर योजना निर्माण:

- गतिविधियां निश्चित होने के पश्चात ग्राम सभा स्तर पर कार्य योजना का प्रारूप (प्रपत्र 3, 3 B) तैयार किया जाएगा।
- कार्य योजना का प्रारूप तैयार करने में तकनीकी सहायता दल ग्राम विकास समिति की मदद करेंगा।
- ग्रामीणों की सहभागिता, कार्य योजना के अनुमोदन तथा सुधार के चरण में होगी।
- ''तकनीकी सहायता दल'' इस दौरान ध्यान रखेंगे कि इससे उपेक्षित वर्गो का हित प्रभावित न हो।
- तपश्चात सभी गतिविधियों पर प्राथमिकता क्रम के आधार पर बजट पर चर्चा होगी कि : ग्राम विकास समिति, ग्राम पंचायत सचिव की मदद से पिछले 2 वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओ एवं स्त्रोतों से होने वाली आय/वित्तीय सहायता के तैयार विवरण को सामने रखे जिससे ग्राम की योजना निर्माण की बैठक के समय वे आंकलन कर सकें कि किस योजना में या किस स्त्रोत से ग्राम के विकास के लिए राशि प्राप्त हो सकती है। साथ ही यह भी बता सके की किस योजना से किस काम को किया जा सकता है। जो काम किसी योजना से नहीं किया जा सकता है उसके लिए क्या किया जा सकता है। किस काम में ग्रामीणों की सहभागिता की आवश्यकता होगी इत्यादि।
- चूंकि ग्रामीणों की सहभागिता पूर्व में समस्याओं एवं उनके संभावित समाधानों की पहचान में हो चुकी है, अतः अधोसंरचना, तकनीक एवं बजट आदि मुददों पर तकनीकी सहायता दल आवश्यकता पडने पर की मदद करेगी।

चरण–6: ग्रामसभा के सुझाव एवं अनुमोदन:

- ''तकनीकी सहायता दल'' की सहायता से ''कार्य योजना'' का प्रारूप तैयार करने के बाद ग्राम विकास/नियोजन समिति इसे ग्रामसभा में सुझाव एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी।
- ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के साथ चर्चा कर, गतिविधियों की प्राथमिकता तय की जाये। चूंकि उपलब्ध संसाधन अक्सर सभी मुद्दों का समाधान करने के संबंध में अपर्याप्त होते हैं यदि ग्रामसभा में ज्यादातर लोग कोई संशोधन चाहे या कोई सुझाव दें तो उसे जरूर सम्मिलित करें। तकनीकी सहायता दल इस बात का ध्यान रखे कि इस बदलाव से उपेक्षित वर्गो का हित प्रभावित ना हो।
- अब ग्राम विकास समिति कार्य योजना को अंतिम स्वरूप प्रदान कर ग्रामसभा से अनुमोदित कराकर निश्चित प्रारूप में ग्राम पंचायत को भेजेगी। ग्रामों की योजना को समेकन ग्राम पंचायत पर एवं ग्राम पंचायत की योजनाओं को समेकन जनपद/जिले स्तर पर होगा।

प्रपत्र भरने के निर्देश

जसमें महिलाओ, अनुसुचित जाति एवं अनु. जनजाति एवं सामान्य जनो के साथ अलग–अलग समुह में चर्चा कर भरना है। इन प्रपत्रों को भरते समय ध्यान प्रपत्र–1 आधारभूत जानकारी

इस प्रपत्र में प्रत्येक ग्राम की आधारभुत जानकारी भरी जानी है। इन जानकरीयो के मुख्यस्त्रोत स्कूल, ऑगनवाडी केन्द्र, पटवारी आशा कार्यकर्ता और ग्रामवासी आदि हो सकते है।

इस प्रपत्र में सबसे उपर एन.आर.ई.जी.ए. ग्राम कोड जो की प्रत्येक ग्राम के लिए एक पहचान संख्या है को ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रपत्र 2 – समस्या एवं सेवाओं का स्तर (शहरी क्षेत्र के लिये यह प्रपत्र 1 होगा)

इस प्रपत्र के छः भाग है। जो की विभिन्न क्षेत्रको जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, अधोसंरचना विभाग, इघन एवं उर्जा ओर नागरिक अधिकार संरक्षण से सम्बंधित मुद्दो/समस्याओं को चिन्हित करने की प्रक्रिया को सहज बनाते है।

इस प्रपत्र को प्रत्येक ग्राम में 3–4 समुह रिखा जावे कि ग्राम के सभी मोहल्लो/मंजरो/टोलो ओर सभी तबको का प्रतिनिधित्व सूनिश्चित किया गया है। जिससे की समस्त ग्रामीण जनो की भागीदारी से ग्राम नियोजन की प्रक्रिया सम्पुर्ण होगी।

नोट– सेवाओं से संतुष्टि के कालम में ग्राम संबंधित समस्या नही होने की दशा में ही संतुष्टि का स्तर की जानकारी दी जावें। यह जानकारी विभिन्न सेवाओं के संबंध में आम ग्रामीणो की सोच जानने के लिये एकत्र की जा रही हैं।

प्रपत्र–3 व 3ठ ग्राम/ग्राम पंचायत/वार्ड की कार्ययोजना (शहरी क्षेत्र के लिये यह प्रपत्र 2 होगा)

नोट– ग्राम के विजन (दृष्टिकोण/दर्शन) को प्राप्त करने या ग्राम की सबसे प्रमुख समस्या को दुर करने के क्रम में ग्रामीणो के अनुसार जो गतिविधि सबसे अधिक महत्वपुर्ण है उसे प्राथमिकता का क्रम में पहला स्थान दिया जावेगा। *(यदि ग्रामसभा चाहे तो वह पहले से तय प्राथमिकता क्रम में कुछ बदलाव कर सकती है, ग्रामसभा को इसका अधिकार है। परंतु ''तकनीकी सहायता दल'' इस दौरान ध्यान रखेंगे कि यदि इससे उपेक्षित वर्गो का हित प्रभावित होता हो तो वे इसे ग्राम सभा के ध्यान में लावेगें।)*

हितग्राहियों की सूची प्रपत्र– प्रपत्र 3 में प्रस्तावित व्यक्तिगत/सामुहिक गतिविधियों के पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार करें। प्रपत्र 3 में प्रस्तावित प्रपत्र 3B: –यह प्रपत्र ग्राम पंचायत स्तर पर भरा जाना है। इस प्रपत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी भरी जावेगी और ग्राम स्तरीय प्रपत्र 3 के साथ जनपद स्तर पर डाटा इन्ट्री हेतु प्रेषित किया जावेगा।

प्रपत्र 2 (शहरी क्षेत्र):– यह प्रपत्र वार्ड स्तर पर भरा जाना है। इस प्रपत्र में वार्ड स्तर पर प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी भरी जावेगी और नगरीय निकाय स्तर पर डाटा इन्ट्री हेतु प्रेषित किया जावेगा।

इकाई संख्या का मिलान गतिविधि के हितग्राहियों की संख्या से अवश्य करें। ग्रामसभा में हेतु प्रत्येक गतिविधि के हितग्राहियों के नाम पढ़कर बतायें और अनुमोदन के बाद प्रत्येक पेज पर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर लेवें।

ग्रामसभा से कार्ययोजना अनुमोदन के बाद ठहराव – प्रस्ताव की छायाप्रति के साथ समस्त दस्तावेज जनपद/नगरीय निकाय स्तर पर जमा करावें।

जिला ग्रामीण नियोजन प्रक्रिया के अनुश्रवण हेतू चेकलिस्ट

क्र	प्रश्न	हॉ	नहीं	टिप्पणी
1.	क्या ग्राम पंचायत में आनेवाले सभी ग्रामों में ग्राम नियोजन समिति का गठन हो गया है? (आवश्यकता के अनुरूप)			
2.	क्या ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल द्वारा ग्राम विकास समिति के नियोजन प्रक्रियाओं पर उन्मुखीकरण कर दिया गया है?			
3.	क्या ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल ने नियोजन प्रक्रिया हेतु समूहो को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार कर ली है?			
4.	क्या ग्राम विकास समिति को योजना निर्माण के लिए ग्राम नियोजन पुस्तिका व सभी प्रपत्र प्राप्त हो गये है?			
5.	क्या ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल ने ग्राम पंचायत में आने वाले सभी ग्रामों में ग्राम नियोजन कब–कब किया जाना है तय कर ग्रावासियों को सूचित कर दिया है?			
6.	क्या नियोजन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की सूचना निगरानी एवं मूल्यांकन समूह के सदस्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को दी गई है?			
7.	क्या ग्रामसभा से पूर्व में अनुमोदित नियोजनों का अवलोकन ग्राम पंचायत स्तरीय तकनीकी सहायता दल व ग्राम विकास समिति द्वारा किया गया है?			

मार्गदर्शन एंव सहयोग हेतु जनपद स्तरीय नियोजन/तकनीकी सहायता दल

क्रं.	नाम	मोबाईल नम्बर
1		
2		
3		
4		
5		

–: सम्पर्क सूत्र :–

जिला योजना अधिकारी,
जिला योजना एंव सांख्यिकी कार्यालय,
कलेक्टर परिसर, राजगढ़
दूरभाष नं. 07372–255132

आओ बनाएँ अपना गांव, आओ बनाएँ अपना मध्यप्रदेश